भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1798

05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ना मिलों के लिए बेहतर अवसंरचना का विकास

1798. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार तथा गन्ना खेती संबंधी विकास में सहायता प्रदान करने हेतु तैयार की गई नीतियों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की गन्ना खेती में सुधार, उत्पादन और प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना की कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): शर्करा विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी मिलों को चीनी विकास निधि (एसडीएफ) ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार, गन्ना विकास, खोई-आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं, निर्जल अल्कोहल या इथेनॉल/शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) संयंत्र के उत्पादन हेतु सहायता प्रदान की गई थी। हालाँकि, उक्त एसडीएफ ऋण योजनाएँ दिनांक 21.09.2021 को बंद कर दी गई हैं।

देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने नई डिस्टिलरी की स्थापना, मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार और देश भर में मौजूदा सीरा आधारित डिस्टिलरी को दोहरी फीड डिस्टिलरी में बदलने के लिए चीनी मिलों के लिए वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाओं को भी अधिसूचित किया है।

.....2/-

सहकारी चीनी मिलों के लिए दिनांक 06.03.2025 को एक नई योजना भी अधिसूचित की गई है, जिसके तहत उनके मौजूदा गन्ना आधारित इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फ़ीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई), कानपुर की स्थापना शर्करा एवं संबद्ध उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श प्रदान करने के लिए की गई है। एनएसआई, कानपुर के अलावा, दो अन्य अनुसंधान संस्थान: वसंतदादा शर्करा संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र और एस. निजलिंगप्पा शर्करा संस्थान, कर्नाटक भी हैं जो शर्करा एवं डिस्टिलरी उद्योग को तकनीकी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में तीन गन्ना अनुसंधान स्टेशन कार्यरत हैं; नामत:

(i) क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन (आरएआरएस), अनाकापल्ली, अनाकापल्ली जिला;
(ii) गन्ना अनुसंधान स्टेशन, वुय्युरू, कृष्णा जिला; और
(iii) कृषि अनुसंधान स्टेशन, पेरुमल्लापल्ली, तिरूपति जिला।

ये अनुसंधान केंद्र गन्ना किसानों और उद्योग के लाभ के लिए स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को बनाए रखने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट गन्ना बीज किस्मों को विकसित और जारी करने के लिए कार्यरत हैं। अब तक जारी की गई प्रमुख गन्ना बीज किस्में 2003वी46, 93वी97, सीओटी8201, सीओए14321 और 2006ए223 हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एनएसआई जैसा कोई अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

******